— कार्यवृत्त —

मासिक बैठक, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद मैनपुरी दिनांक 22.04.2013

जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद मैनपुरी की मासिक बैठक श्री अरुण कुमार शर्मा, प्रभारी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.04.2013 को सांय 03:00 बजे अम्बेडकर सभागार, विकास भवन, मैनपुरी में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे–

- डॉ. वी.के. गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सचिव), मैनपुरी।
- डॉ. दलवीर सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी – आर.सी.एच. (सदस्य), मैनपुरी।
- डॉ. आर.सी.शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय (सदस्य), मैनपुरी।
- डॉ. विनोद कुमार, जिला क्षय रोग अधिकारी (सदस्य), मैनपुरी।
- डॉ. रामकिशन, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रतिरक्षण), मैनपुरी।
- श्री मुकेश जौहरी, जिला मलेरिया अधिकारी (सदस्य), मैनपुरी।
- प्रतिनिधि जिला पंचायत राज अधिकारी (सदस्य), मैनपुरी।
- श्री साहब सिंह यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस (सदस्य) मैनुपरी।
- प्रतिनिधि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सदस्य), मैनपुरी।
- श्री अनिल तोमर, प्रतिनिधि यूनीसेफ, मैनपुरी।
- प्रतिनिधि एन.जी.ओ, मैनपुरी।
- समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैनपुरी।
- डी.पी.एम, डी.सी.एम, डी.ए.एम, डी.डी.ए.ए., एच.एम.आई.एस. ऑपरेटर, डी.पी.एम.यू, एन.आर.एच.एम, मैनपुरी।
- समस्त ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बी.पी.एम, एवं एम.सी.टी.एस. ऑपरेटर, जनपद मैनपुरी।
- समस्त सी.डी.पी.ओ., मैनपुरी।

सर्वप्रथम डॉ. वी.के. गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सचिव) द्वारा श्री अरुण कुमार शर्मा, प्रभारी जिलाधिकारी महोदय तथा बैठक में भाग लेने वाले अन्य सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् सम्बन्धित नोडल अधिकारियों द्वारा एजेण्डानुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण किया गया –

- **बिन्दु संख्या 1 (नियमित टीकाकरण कार्यक्रम)** – डॉ रामकिशन, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा बताया गया कि हाईरिस्क क्षेत्रों में विशेष टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल, 03 से 08 जून, 08 से 13 जुलाई, 19 से 24 अगस्त 2013 तक चलेगा, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गयी है। सभी ब्लॉकों से माइक्रोप्लान प्राप्त हो चुके है तथा सभी जगह लॉजिस्टिक की व्यवस्था कर दी गई है। बरनाहल ब्लॉक के माइक्रोप्लान में कुछ कमियों थीं, जिसमें सुधार करने हेतु निर्देश दे दिए गये है। प्रभारी जिलाधिकारी महोदय ने विशेष टीकाकरण अभियान को सफल बनाने हेतु निर्देश दिये तथा कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नही की जायेगी साथ ही साथ कहा कि आई.सी.डी.एस. व बेसिक शिक्षा विभाग कार्यक्रम में शत्–प्रतिशत् योगदान करे।

- **बिन्दु संख्या 2 (आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना)** – नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपदीय लक्ष्य 1080 के सापेक्ष 1069 विद्यालयों का भ्रमण किया गया जिसमें 92190 छात्रों के सापेक्ष 59359 बच्चों को परीक्षित किया गया तथा 1230 बच्चों को जिला अस्पताल के रेफर किया गया। प्रभारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिशा–निर्देश दिये गये कि आर्शीवाद बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना में कार्यरत मेडीकल टीम को ब्लॉक के अन्तर्गत 120 विद्यायलायों में रेन्डम विद्यालय में जाकर बाल स्वास्थ्य कार्डो के रख–रखाव, फोटो का सही जगह पर लगने, सन्दर्भित बच्चों के फॉलोअप, दवाओं की स्थिति तथा रिकार्डो के सत्यापन हेतु दिशा–निर्देश दिये गये।

- **बिन्दु संख्या 3 (जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम)** – प्रभारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले भोजन व नाश्ते के लिए निर्देश दिये गये कि एजेन्सी द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवाऐंद ी जाऐं तथा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर.सी.एच.) समय–समय पर इसकी मॉनिटरिंग करें।

- **बिन्दु संख्या 4 (जननी सुरक्षा योजना)** – प्रभारी जिलाधिकारी महोदय उपकेन्द्रों को एक्रीडियेट करने एवं सम्बन्धित क्षेत्र की ए.एन.एम. को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिये जाने हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही आशा को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का तत्काल भुगतान किये जाने एवं लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया तथा निर्देश दिये कि उक्त में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक भी जिम्मेदार होंगे।

- **बिन्दु संख्या 5 (प्रथम सन्दर्भन इकाई/एफ.आर.यू.)** – जिला महिला चिकित्सालय में विगत माह में एक तथा क्रमिक चार सीजेरियन प्रसव होने पर प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा असन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि बहुत कम है इसे बढ़ाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका प्रयास करें।

- **बिन्दु संख्या 6 (जे.एस.वाई./एच.एम.आई.एस. की ऑन लाइन फीडिंग)** – प्रभारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियमित रूप से शत्–प्रतिशत् जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों एवं फैसिलिटीवाइज एच.एम.आई.एस. की ऑनलाइन फीडिंग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- **बिन्दु संख्या 7 (मदर एण्ड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम की ऑन लाइन फीडिंग)** – जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा एम.सी.टी.एस. की गुणवत्तापरक शत्–प्रतिशत् डाटा ऑनलाइन फीडिंग किये जाने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धकों की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक गुरुवार एच.वी./एच.एस./ए.एन.एम. की नियमित बैठक कर आने वाली समस्याओं को तत्काल चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवगत करा निराकरण करायें तथा लक्ष्य के अनुरूप शत्–प्रतिशत् डाटा फीडिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।

- **बिन्दु संख्या 8 (परिवार कल्याण)** – प्रभारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा महिला नसबन्दी की उपलब्धि मात्र 17.76 प्रतिशत् पर नाराजगी व्यक्त करते हुए रोस्टर के अनुसार शिविर आयोजित कर लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

- **बिन्दु संख्या 9 (मैटरनल डैथ ऑडिट)** – प्रभारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में मात्र 16 मातृ–मृत्यु रिपोर्ट किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सही डाटा उपलब्ध कराने एवं सम्बन्धित क्षेत्र की ए.एन.एम./आशा/आँगनबाड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर मातृ–मृत्यु के कारणों की समीक्षा करते हुए इस पर सुधार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- **बिन्दु संख्या 10 (वी.एच.एस.एन.सी.)** – जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस. द्वारा अवगत कराया गया कि 503 आँगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के सापेक्ष 396 की प्रगति के बारे में बताया गया तथा सभी चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि **"वर्मी कम्पोस्ट यूनिट"** में बी.डी.ओ. तथा पंचायत सेक्रेटरी द्वारा सहयोग न मिलने से कार्य प्रभावित हो रहा है। इस पर प्रभारी जिलाधिकारी महोदय ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी तथा कहा कि समन्वय बना कर शीघ्र इस कार्य को पूर्ण कराया जाए तथा प्रभारी जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि जिन उपकेन्द्रों पर हैण्डपम्प न हों या अक्रियाशील हों उन्हें तत्काल प्रस्ताव बनाकर भेजें शीघ्र ही व्यवस्था करवा दी जायेगी।

- **बिन्दु संख्या 11 (आशा योजना)** – जिलाधिकारी महोदय द्वारा नवीन चयनित 139 आशाओं को अप्रशिक्षित होने पर भुगतान न दिये जाने की दशा में प्रशिक्षण दिये जाने के लिए डॉ. दलवीर सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण हेतु साइट तथा आशाओं के नाम सहित संकलित सूचना राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को भेज दी गयी है। दिशा–निर्देश प्राप्त होते ही शीघ्र प्रशिक्षण प्रारम्भ करवा दिया जायेगा।

- **बिन्दु संख्या 12 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) –**

(i) नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम (मलेरिया) – जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा बताया गया कि माह जनवरी, 2013 से माह मार्च, 2013 तक 6541 मलेरिया स्लाइड के परीक्षण दौरान 2 मरीज धनात्मक पाये गये जिनको आमूल उपचार दिया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियमित रूप से स्लाइडें बनाने हेतु निर्देशित किया गया तथा आशाओं को स्लाइड बनवाने हेतु दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि जोकि ब्लॉक स्तर पर अवशेष पड़ी हुई है उसे मुख्यालय पर वापस भेजने हेतु सभी चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया ताकि उक्त धनराशि का किसी अन्य कार्य में उपयोग किया जा सके।

(ii) राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम – जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय अधंता निवारण कार्यक्रम की समीक्षा में आई.ओ.एल. ऑपरेशन की जनपदीय उपलब्धि 52% तथा निःशुल्क वितरित चश्मों की संख्या 225 पाई गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर अंसतोष व्यक्त करते हुए लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

(iii) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम – डॉ. दलवीर सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि खोजे गये नये व चिकित्सारत कुष्ठ रोगियों की संख्या 152 है, जिनमें से रोग मुक्त रोगियों की संख्या 103 है।

(iv) राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम – डॉ. विनोद कुमार, जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा बताया गया कि 10610 मरीजों की स्पुटम जाँच व 1223 नये टी.बी. मरीजों को उपचारित किया जा रहा है। 91 प्रतिशत् क्षय रोगियों को 12–15 माह चिकित्सा उपरान्त क्योर किया जा चुका है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जाँच किये गये व्यक्तियों की मासिक संख्या 316 है जिसमें सात एलीजोपॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी पहचान गुप्त रखते हुए सम्पूर्ण उपचार हेतु सैफई रैफर किया जाता है।

- **बिन्दु संख्या 13 (वित्तीय प्रगति)** – प्रभारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के व्ययों की समीक्षा की गई जिसमें आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल में अब तक व्यय धनराशि 79 प्रतिशत्, मिशन फ्लैक्सीपूल में व्यय धनराशि 41 प्रतिशत्, नियमित टीकाकरण में व्यय धनराशि 78 प्रतिशत् तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में व्यय धनराशि 95 प्रतिशत् पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा कम उपलब्धि होने पर लक्ष्य के अनुरूप व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही नोडल अधिकारी (एन.आर.एच.एम.) को व्यय का नियमित अनुश्रवण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- **बिन्दु संख्या 14 (जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई)** – जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन.आर.एच.एम. के कार्यालय भवन के वित्तीय वर्ष 2012–13 के मासिक किराये रु. 9200/– में वृद्धि (मूल किराये रु. 8000/– कें 5 प्रतिशत अर्थात् रु. 400/– प्रतिवर्ष की दर से) करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अनुबन्ध की तिथि से रु. 9600/– प्रतिमाह किये जाने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।
- **बिन्दु संख्या 15 (मानव संसाधन)** – जिला पुरुष चिकित्सालय में स्थापित सी.टी. स्कैन मशीन के सफल संचालन हेतु एक सी.टी. टैक्नीशियन व दो कार्डियोलॉजिस्ट, एक रेडियोलोजिस्ट तथा पोस्ट मार्टम हाउस हेतु दो स्वीपर रखे जाने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। अन्त में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय तथा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं सदस्यगणों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, मैनपुरी

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मैनपुरी